



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 801840

बनारस न्यायिक नकल No... ..
सत्यमेव जयते

7 630

₹ 10

23-6-2018

04-5-018

पुनर्जागरण संस्थान

SECRET

४१

समस्त संस्थाओं की अवधि ३१-३-७५ तक
वर्धमान कोष पर विचार

~~SECRET~~



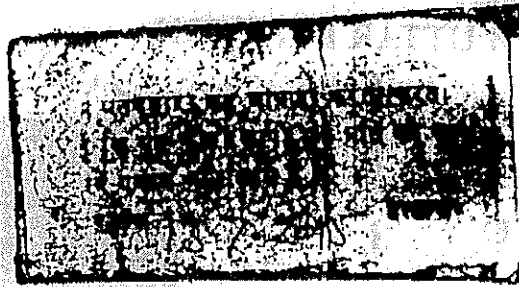
.....	1969 Feb 14
.....	1969 Feb 14

સા. સ. કોમિટી, ૧૩૭૫

૧૩.૭.૧૫

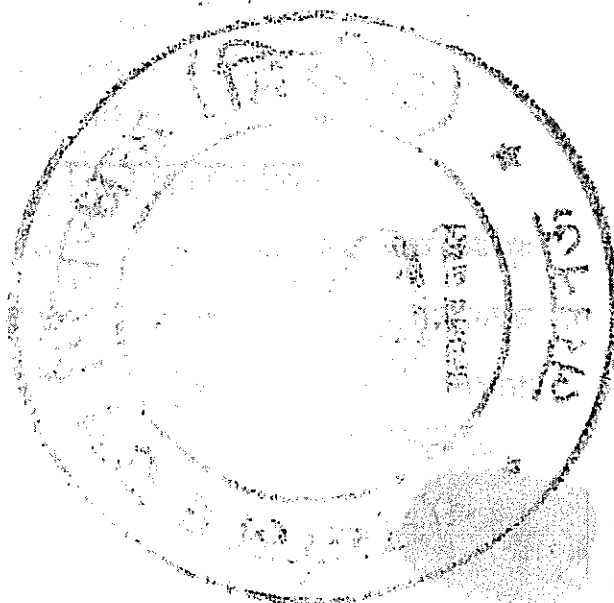
૨૫૫૦ પા.લાભની તરીકે

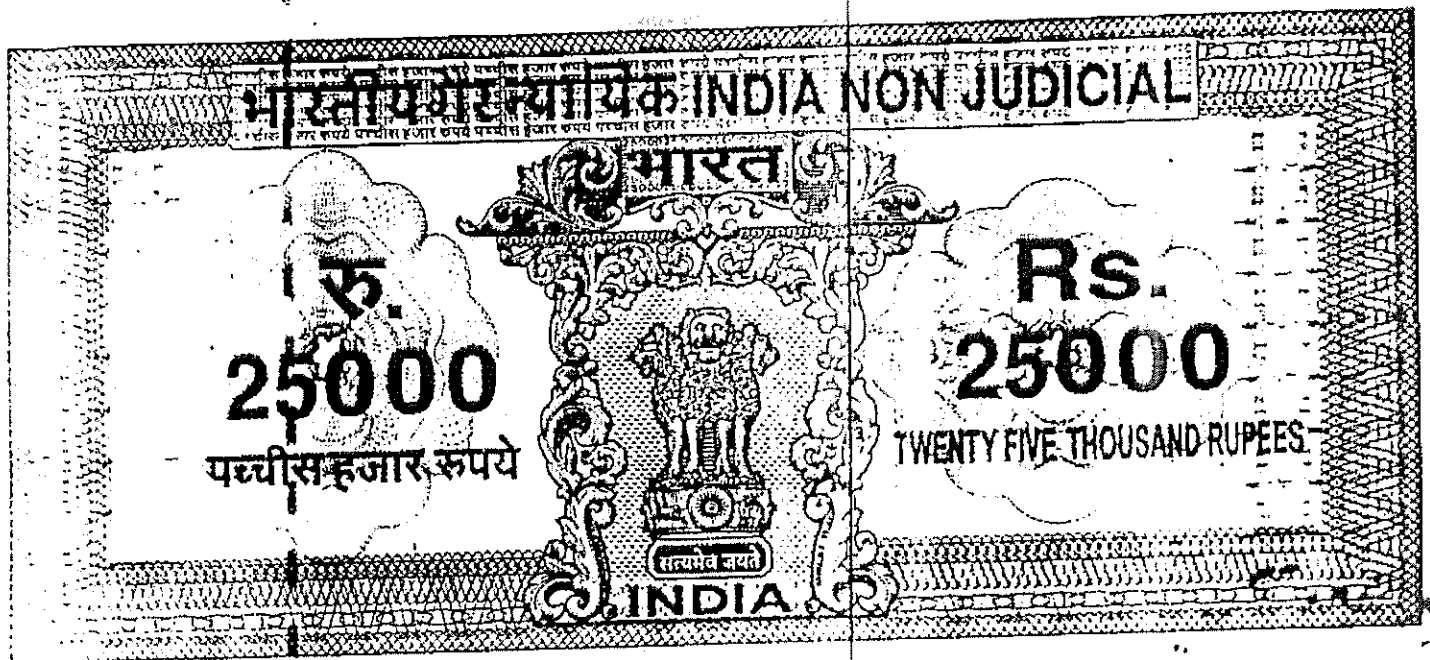
૭



કોઈ

૨





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 657544

- 2 -

सम्पत्ति का विवरण-

- खसरा संख्या-315क, 315ख व 321क का भाग

मापन की इकाई

- हेक्टेयर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल-

- 0.1096 हेक्टेयर

सड़क की स्थिति :

- फैजाबाद रोड से 5 किलोमीटर से अधिक दूर।

सम्पत्ति का प्रकार-

- कृषि आराजी

चौहददी खसरा संख्या-315क व 315ख

पूरब: - खसरा संख्या-315क व 315ख का शेष भाग

पश्चिम: - खसरा संख्या-315क व 315ख का भाग भूमि क्रेता

उत्तर: - खसरा संख्या-316

दक्षिण: - खसरा संख्या-311

हस्ताक्षर

2

पठनकर्ता 630
गुलनाकर्ता

पठन किया.....
निलान किया.....

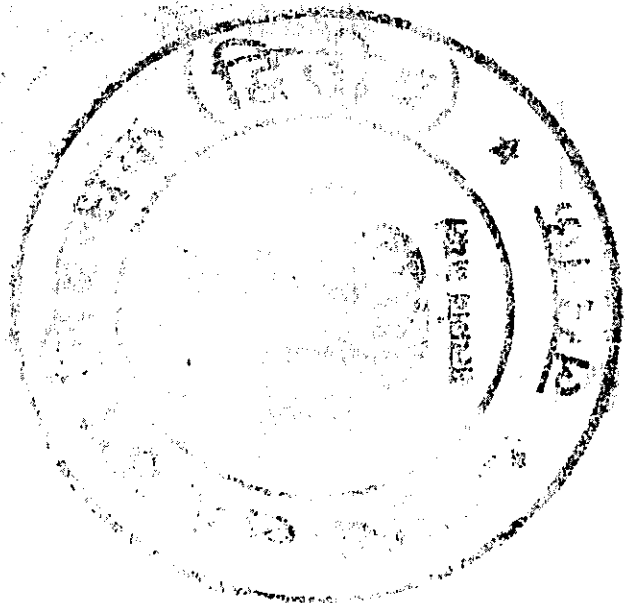
..... (तिलोप)

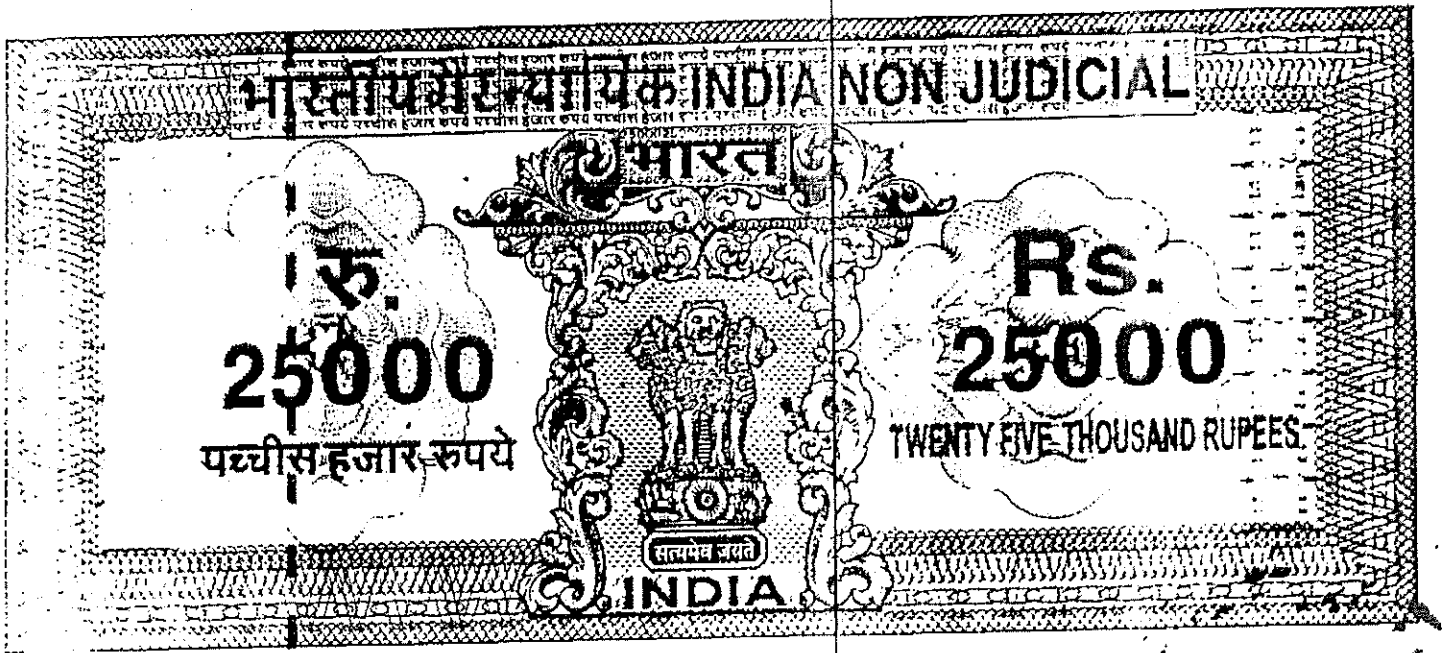
आचार्य कौशिक, अध्यक्ष

13.2.15

श्री. ए. ए. कौशिक जी. प्र.

प्रिय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-657545

01.03.10

- 3 -

चौहद्दी खसरा संख्या-321क

- पूरुबः - खसरा संख्या-321क का भाग
भूमि क्रेता
- पश्चिमः - खसरा संख्या-321क का शेष भाग
- उत्तरः - लिंकमार्ग
- दक्षिणः - खसरा संख्या-312 व 319

टुन्गी पुत्र इन्ब्रा निवासी- ग्राम बाघागऊ, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

.....विक्रेता

टुन्गी

D

7630
प्रमाणित
लखनऊ

ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଲା. ୧୩୩.

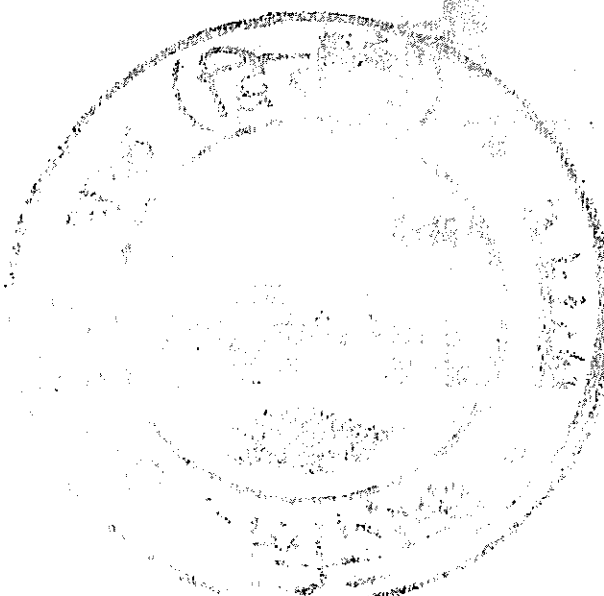
..... 13.2.45

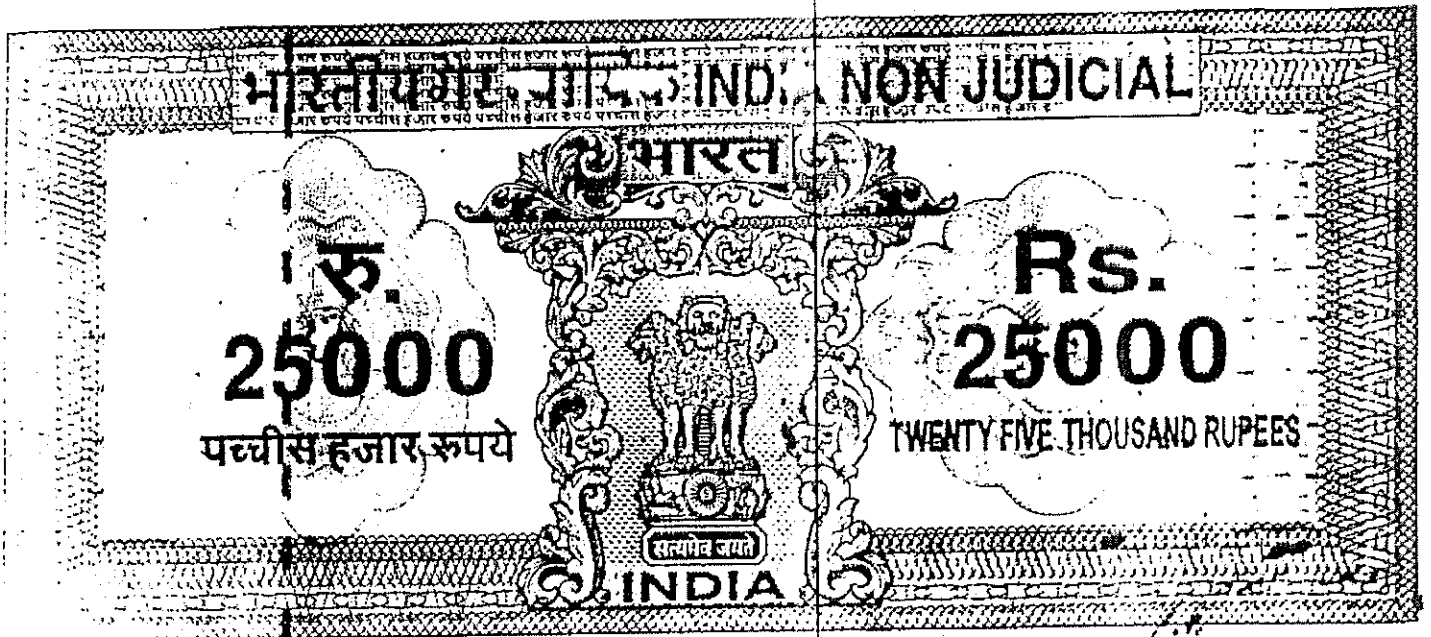
..... ୧୩.୨.୪୫

..... ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପତ୍ର ପଠାଉଛୁ

.....

ଶ୍ରୀ ୧୩.୨.୪୫





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-2546

11.12.14

-4-

ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि० स्थित
कार्यालय 144/2, ए०एन०एस० हाउस, 11-फ्लोर, आश्रम
मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी डी०एन०
त्रिपाठी पुत्र श्री रामजी त्रिपाठी निवासी-126/31, वी०एन०
रोड, लालबाग, लखनऊ।

..... क्रेता

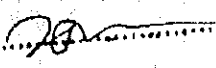
जो कि भूमि खसरा संख्या-315क रकबा 0.1770
हेक्टेयर में से रकबा 0.0295 हेक्टेयर, खसरा संख्या-
315ख रकबा 0.2280 हेक्टेयर में से रकबा 0.0380
हेक्टेयर व खसरा संख्या-321क रकबा 0.2530 हेक्टेयर में
से रकबा 0.0421 हेक्टेयर कुल तीन किता कुल रकबा

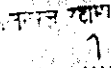
दुर्गा

गठनकर्ता: 630
गुलनाकर्ता:

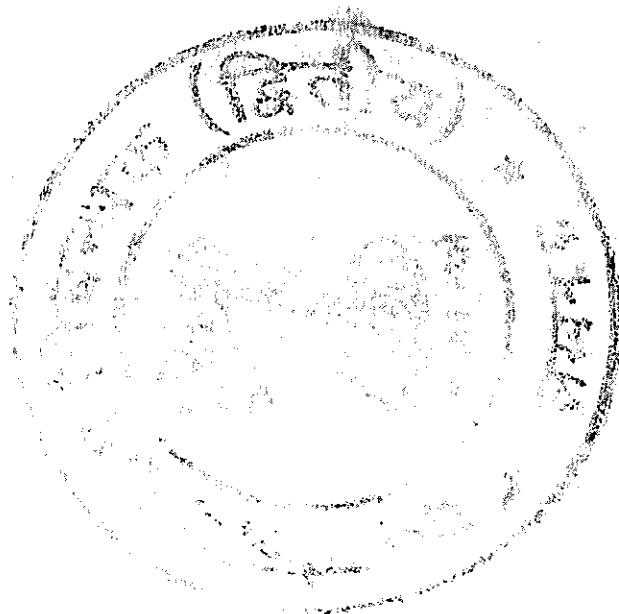
आमर्ष कोषागार, काठमाडौं

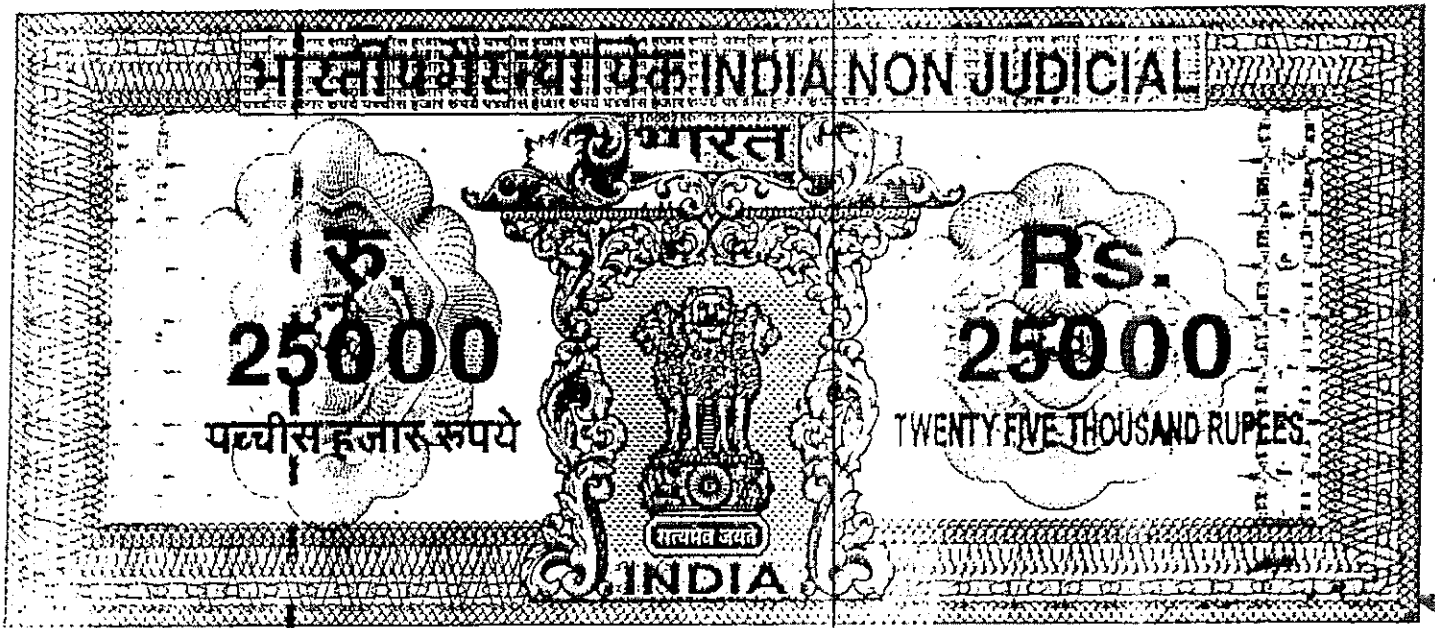
..... 13-7-15

.....  नयाँ नाम

..... ५-५-१५ १  कोषागार

.....  ५-५-१५





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-657547

01 JUL 1984

-5-

0.6580 हेक्टेयर में से विक्रीत रकबा 0.1096 हेक्टेयर स्थित ग्राम बाघामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ जिसकी विक्रेता उपरोक्त मालिक कामिल व कादिल है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक है, तथा विक्रेता को बरासतन प्राप्त हुई है तथा राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरी में विक्रेता का नाम सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी समस्त प्रकार के भारों व विवादों अजकिस्म रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता को मालिकाना हक हासिल है। अब विक्रेता ने बजरूरत खुद खूब सोच व समझ कर प्रसन्न चित्त मन से विना किसी जोर दबाव नाजायज के, अपने पूर्ण होशो हवास में उक्त आराजी

हस्ताक्षर

7630
रहनकर्ता :
तुलनाकर्ता :

सह किया.....
निकाल किया.....

सह निरूपण (हिंदी)

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 13.2.45

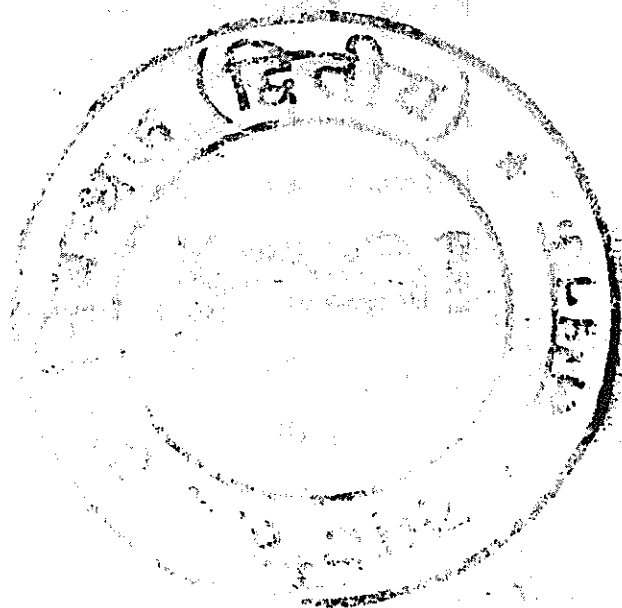
स्थान लखनऊ

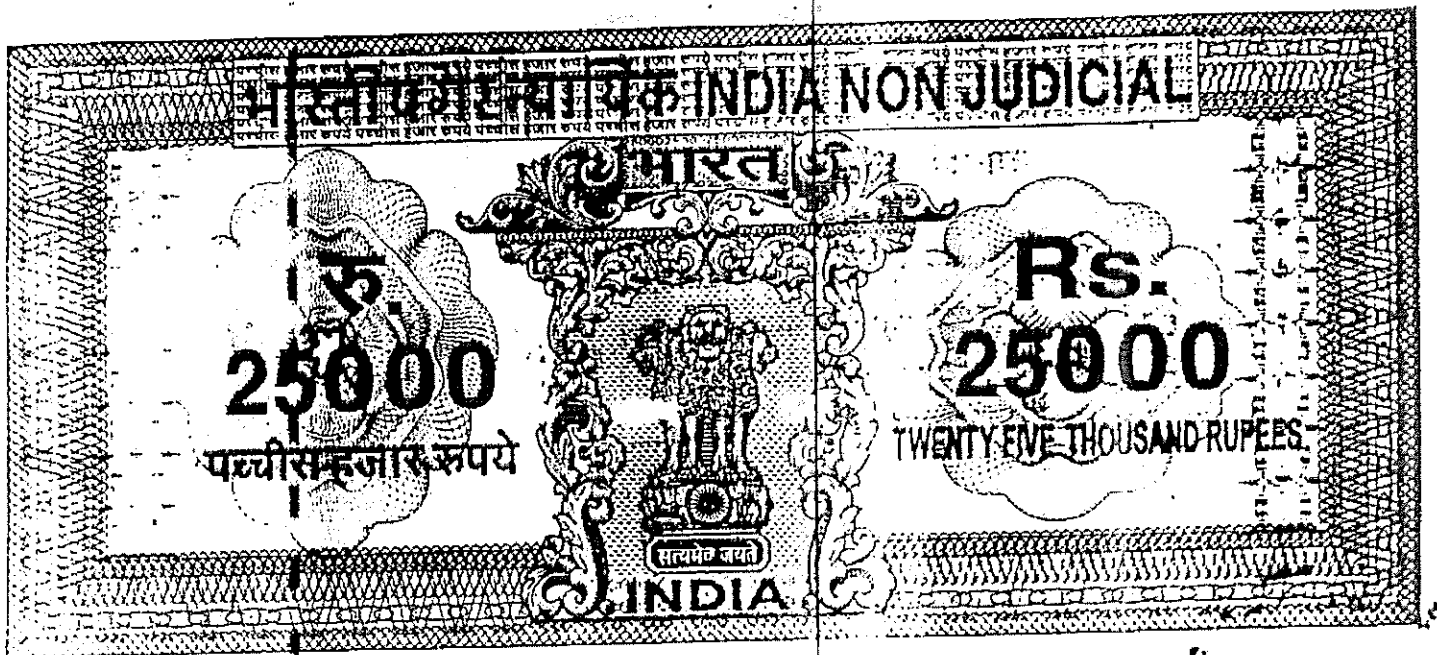
विषय

प्रमाण

रु-एक-सुविधायक ज.मि.

दिनांक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 657548

01 JUL 1968

- 6 -

अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बिलएवज मुबलिग रुपये 43,00,000/- (तेतालिस लाख रुपये) जिसके आधे रुपये 21,50,000/- (इक्कीस लाख पचास हजार रुपये) होते हैं, में बदस्त ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि० स्थित कार्यालय 144/2, ए०एन०एस० हाउस, II-प्लोर, आश्रम मधुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी डी०एन० त्रिपाठी पुत्र श्री रामजी त्रिपाठी निवासी- 126/31, वी०एन० रोड, लालबाग, लखनऊ को बय कतई किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय धनराशि अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना आराजी तिकी शुषा पर आज से बजाय अपने

दुब्की

7630
पटनकरी
तलनकरी

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक... 3.2.15

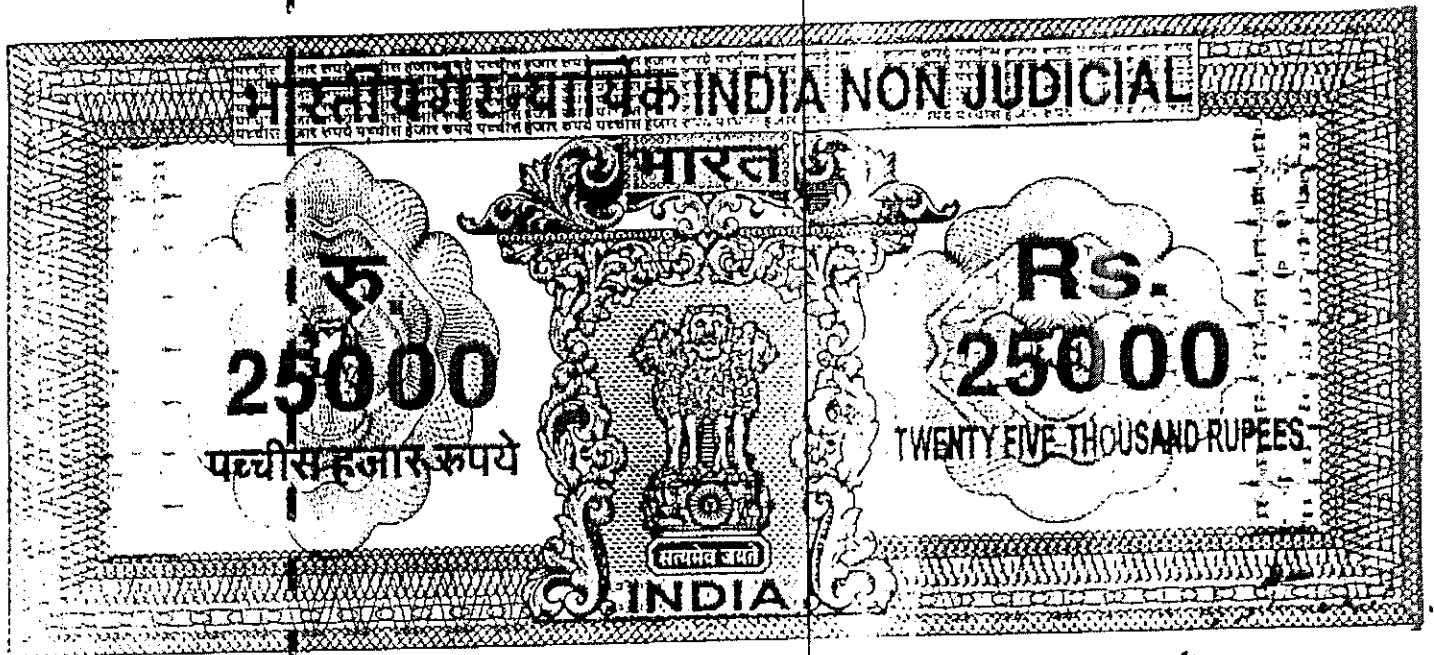
..... जनरल स्वामी

मात्र. 23/8/1971

.....

१
सेक्रिटार्या





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-637549

01/08/2014

-7-

क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीशुदा आराजी में शेष नहीं रहा। अब अगर कोई दीगर शख्स अपना हक या दावा करे तो दावा उसका बातिल व नाजायज करार दिया जावे और अगर किसी शख्स की दावेदारी या हकदारी या उज्जदारी से आराजी विक्रीशुदा क्रेता के कब्जे से निकल जावे या कब्जा व रहे या मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से विवादित या भार ग्रसित पायी जाय तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकामान को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा के विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान की

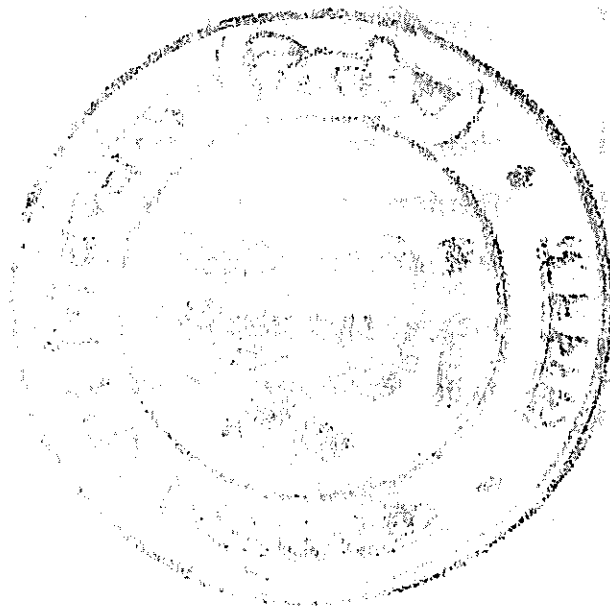
हस्ताक्षर

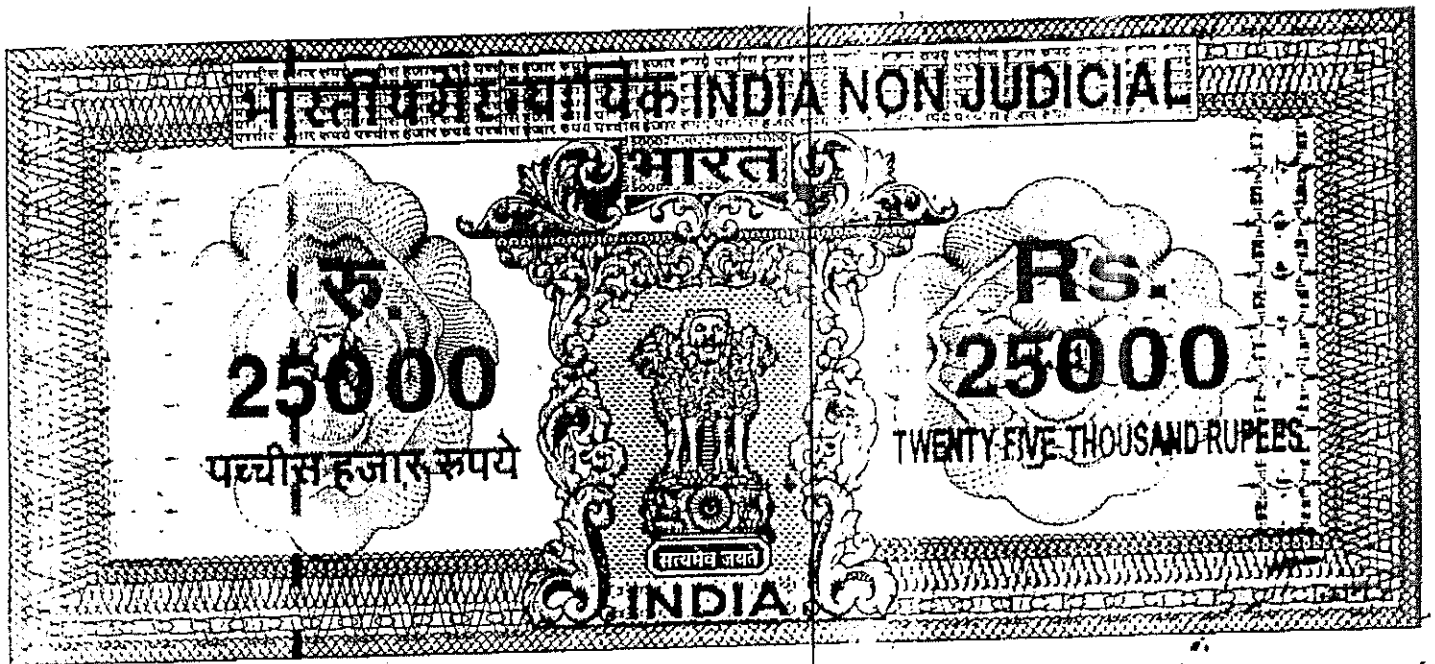
7630

13.2.15

2. ମା. ମା. ଶାନ୍ତି ୧. ୩

1. ~~8~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-699550

11 JUL 1971

- 8 -

दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई उज्र नहीं होगा। विक्रीशुदा आराजी को क्रेता कागजात सरकारी में अपने नाम दर्ज करवा लेवे, इसमें विक्रेता को कोई उज्र नहीं होगा।

विक्रीशुदा आराजी रुपि आराजी है परन्तु लिंक रोड व आबादी के निकट स्थित है, इसलिए विक्रीशुदा रकबा 0.1096 हेक्टेयर में से 0.050 हेक्टेयर यानी 500 वर्गमीटर की मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखनऊ निर्धारित आवासीय दर रुपये 4,000/- की दर से रुपये 20,00,000/- होती है तथा अवशेष भूमि रकबा 0.0596 हेक्टेयर की बाजारी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

दुग्गी

D

7630

पठनकर्ता :

तुलनाकर्ता :

पञ्चायत

(द्वितीय)

.....

..... 13.7.15

.....

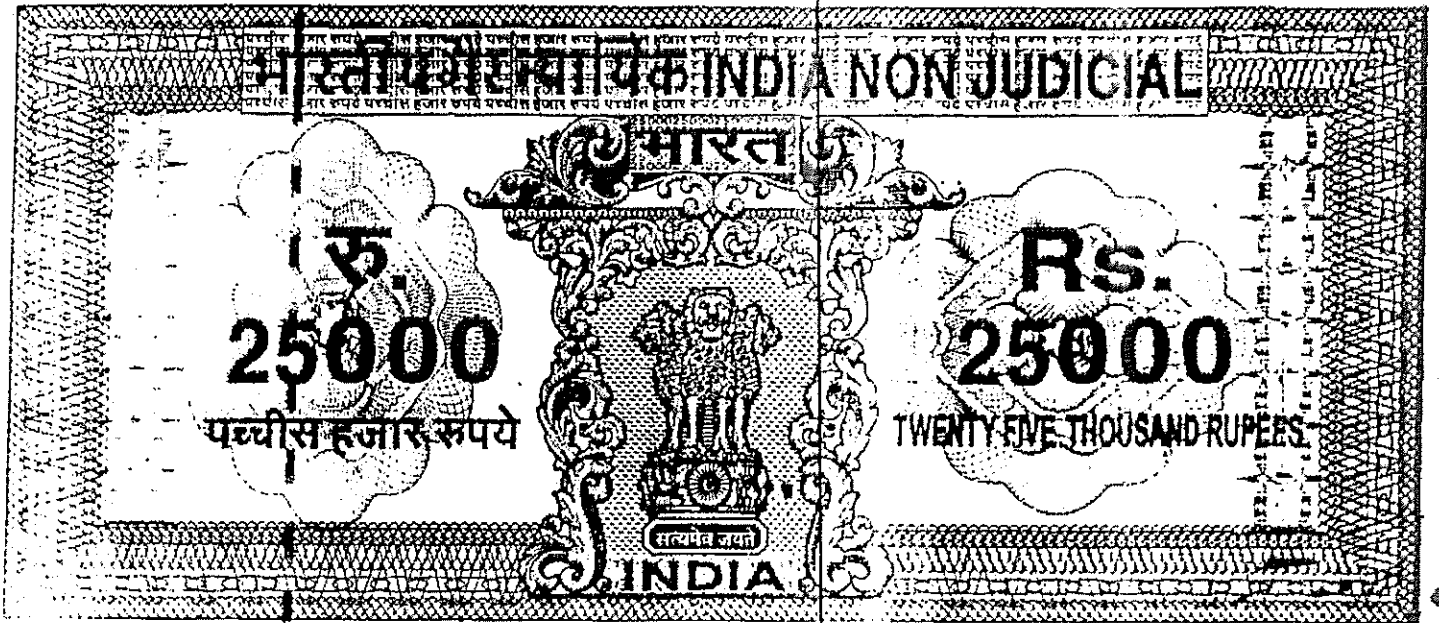
..... 2-PO-PA-Subash C. R.

.....

.....

.....





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 7897551

01 JUL 2008

- 9 -

लखनऊ द्वारा निर्धारित वर्तमान दर आराजी लिंकमार्ग पर स्थित होने के कारण रुपये 1,15,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से मालियत रुपये 6,85,400/- होती है, इस प्रकार कुल मालियत रुपये 26,85,400/- होती है। बाजारी मालियत विक्रय मूल्य से कम है, इसलिये विक्रय मूल्य पर संस्थागत वित्त, कर एवं नियन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या सं० वि० क० नि० 5-2756/ 11/ 2008- 500 (165) 2007 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार नियमानुसार जनरल स्टाम्प 7 प्रतिशत के हिसाब से रुपये 3,01,000/- का अदा किया गया है।

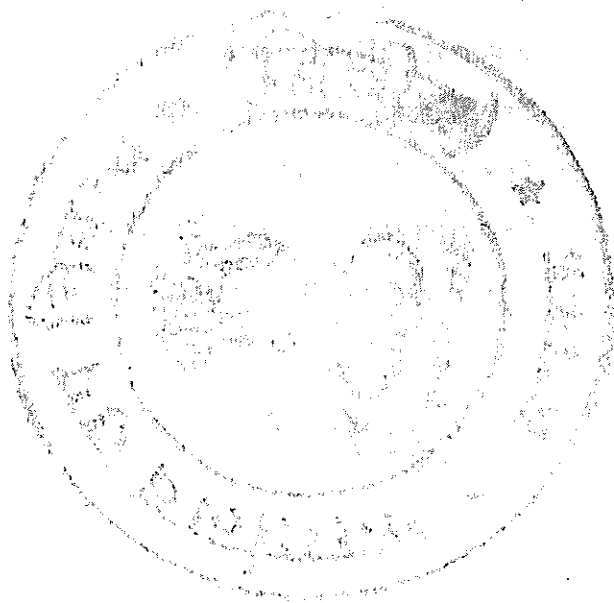
हुस्नी

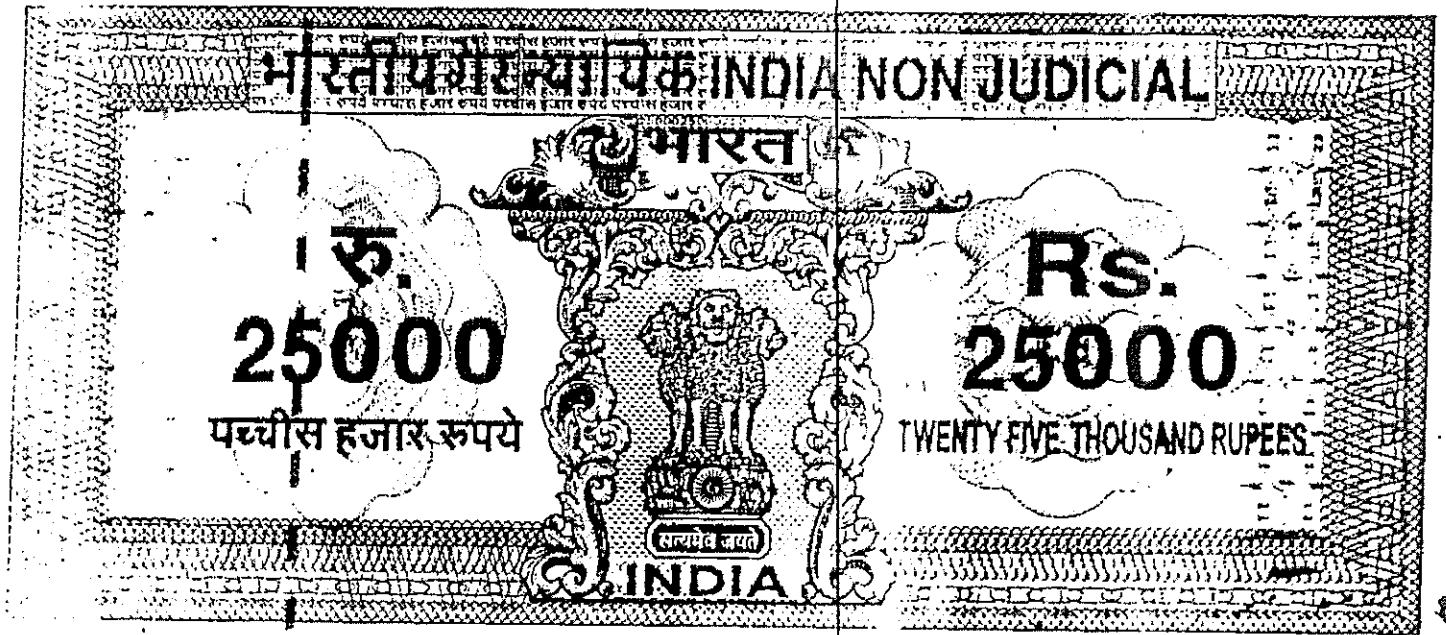
D

7630
पटनकर्ता :
तुलनाकर्ता :

(तीव)

.....





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 897552

01.07.13

- 10 -

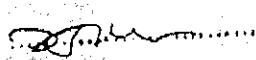
आराजी विक्रीशुदा का भूमि उपयोग कृषि है। आराजी विक्रीशुदा किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग व जनपदीय रोड के किनारे स्थित नहीं है आराजी विक्रीशुदा पर कोई भी पेड़, बाग, बगीचा, ट्यूबवेल, निर्माण, कुआं आदि नहीं है आराजी नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। विक्रीशुदा आराजी की 200 मीटर त्रिज्या में कोई आवादी नहीं है। उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा या अन्य किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी योजना में अधिगृहीत नहीं है। विक्रेता व क्रेंता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। विक्रेता व क्रेंता का स्थाई व अस्थायी पता उपरोक्त ही है। विक्रीशुदा आराजी

हुस्नी

7630
पंजीकृत
वास्तविकता

अध्यक्ष, कांसागर, लखनऊ

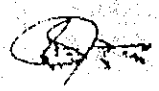
13-2-15

श्री.  अध्यक्ष

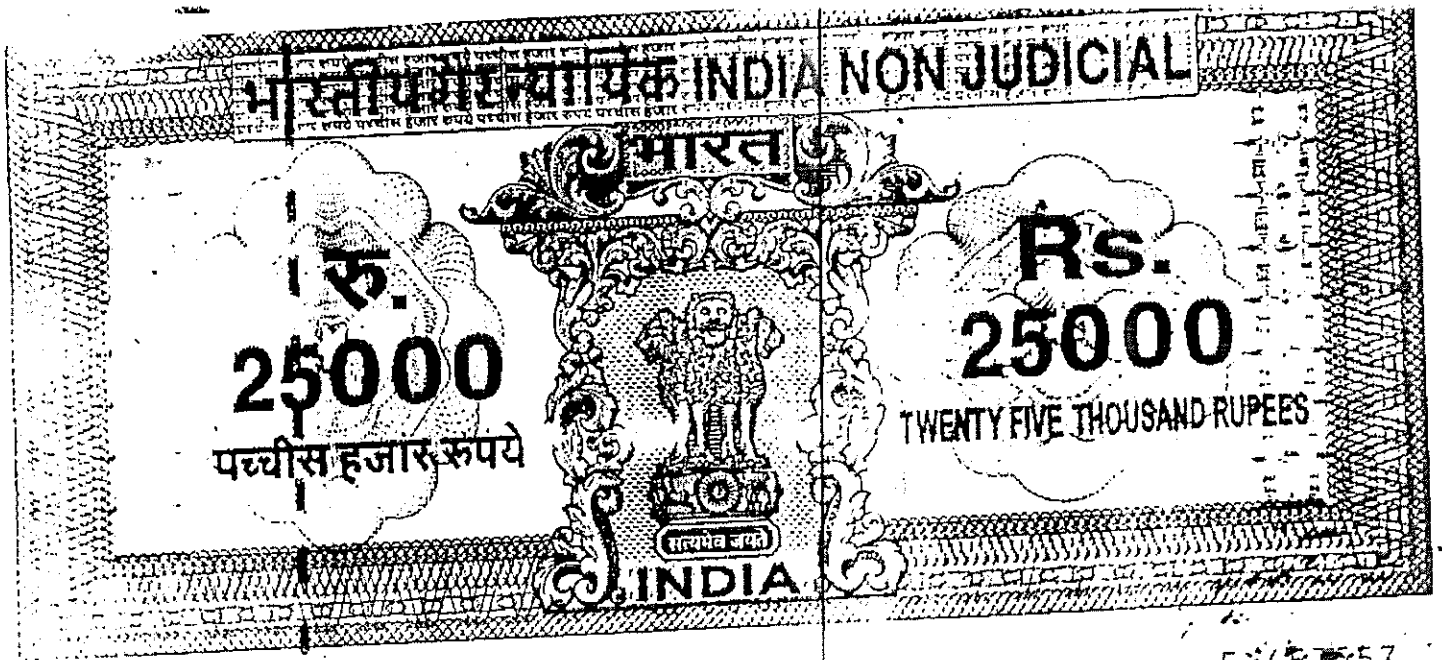
मा. २२-६१-२०००

का. २२-६१-२०००

ज. अ.







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-63553

11

मुख्य सड़क फैजाबाद रोड से 5 किलोमीटर से भी अधिक दूर है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई बहक केता उक्त के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रीशुदा

भूमि खसरा संख्या-315क रकबा 0.1770 हेक्टेयर में से रकबा 0.0295 हेक्टेयर, खसरा संख्या- 315ख रकबा 0.2280 हेक्टेयर में से रकबा 0.0380 हेक्टेयर व खसरा संख्या-321क रकबा 0.2530 हेक्टेयर में से रकबा 0.0421 हेक्टेयर कुल तीन किता कुल रकबा 0.6580 हेक्टेयर में से विक्रीत रकबा 0.1096 हेक्टेयर स्थित ग्राम बाघामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

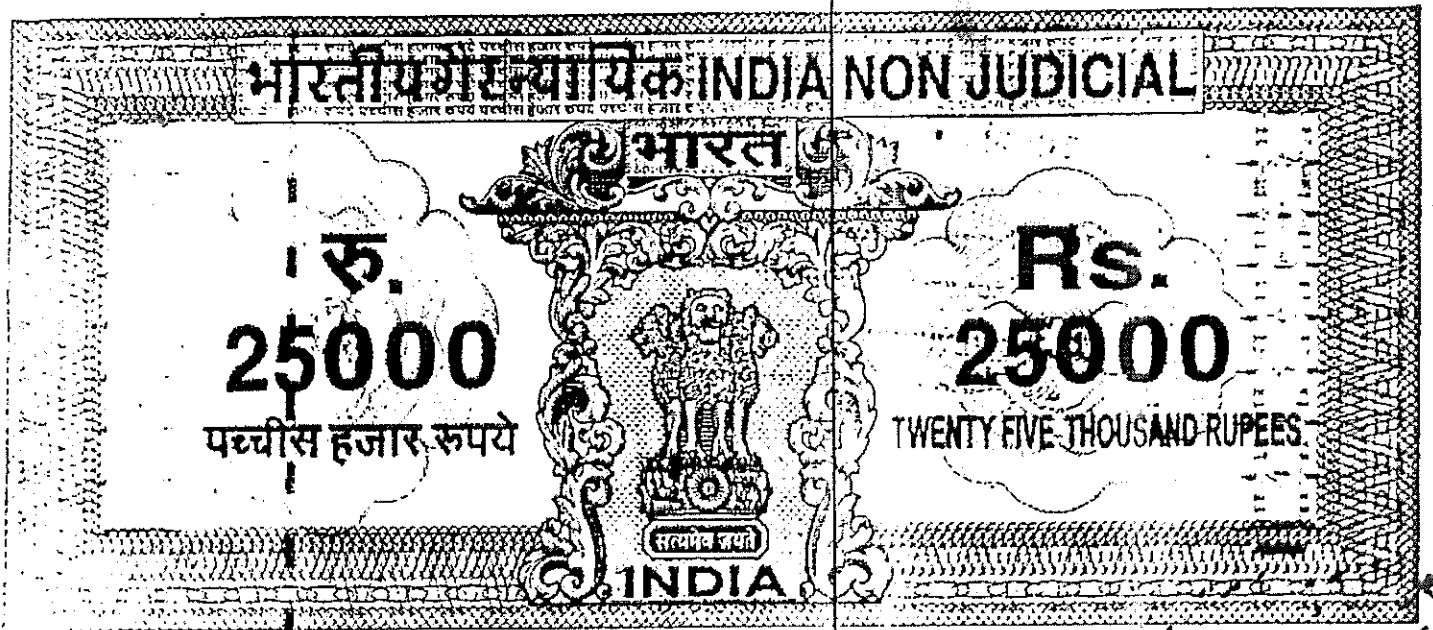
Handwritten signature

Handwritten mark

7680

प्राप्त किया.....
निराप्त किया.....

..... (निजी)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 657554

11/7/2015

- 12 -

तफसील वसूलयाची विक्रय धनराशि

कुल विक्रय मूल्य रुपये 43,00,000/- (तीतांलिस लाख रुपये) जरिये चेक संख्या-000094 दिनांक 11-7-2015 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि० शाखा ट्रेनी टावर विधानसभा मार्ग, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता उपरोक्त से प्राप्त कर लिया है।

(Signature)

(Signature)

17 630
पंजीकृत :
पंजीकृत : *(Signature)*

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 13-7-15

पुस्तक संख्या 247572 नयात स्थान

नाम ए.एन.एम. चवला ज.लि.

द्वारा

विक्रेता
संकाशिया

Registration No. 10650

Year 2015

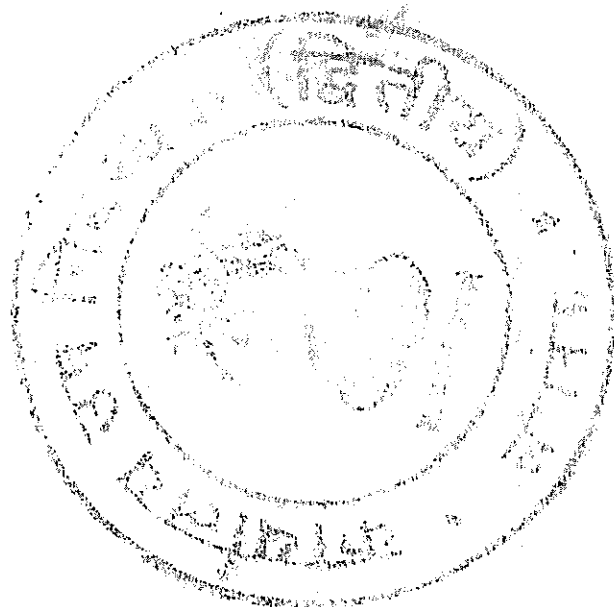
Book No. 1

0101 दुप्री.

अवधि

प्राप्त आदर्श कोषागार 10650 व जिला लखनऊ

कृष्ण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 362090

23 JUN 2015

- 13 -

अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ :

दिनांक :- 13.07.2015

गवाह 1-

पता-

व. न. ल. अ. 5/0
प्रो. लाली पं.

8-क. जगत न. (पं.)
राउ गोला गंगा

लखनऊ

गवाह 2-

पता-

शत्रोहन लाल

कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ

विक्रेता

दुन्नी

दुन्नी

क्रेता

✓

(डी०एन० त्रिपाठी)

अधिकृत हस्ताक्षरी

टाईपकर्ता

(ए०आर०चर्मा)

जिला कचहरी लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(शत्रोहन लाल)

ए०वोकेट

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ।

मो०नं०-9838275640

पं०नं०

पुनः

स. न. न. न. (स. न. न.)

13.12.15

25-12-15

केस

Registration No. 10650

Year: 2015

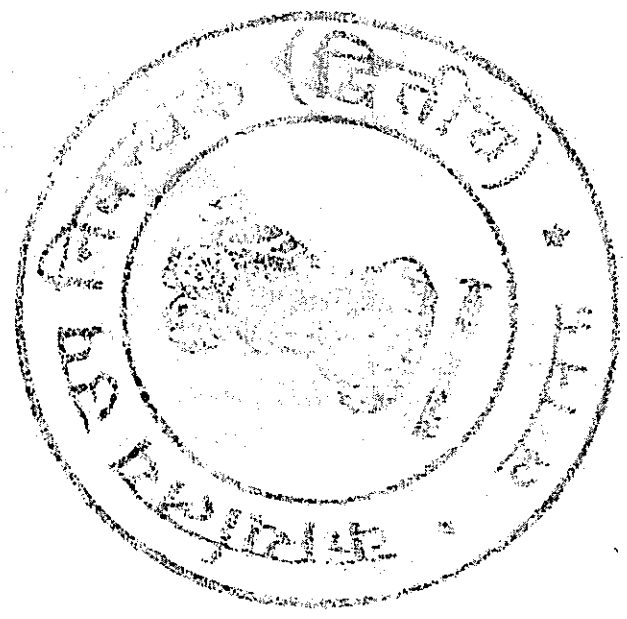
Book No.: 1

0201 ए0एन0एस0 डे0प्रा0लि0 द्वारा अधि0हसू0 डी0एन0 त्रिपाठी

रीप्रीज त्रिपाठी

1203/31 जीएन0रोड लालबाग लखनऊ

चार्ज नॉकआउट



नजरी - नक्शा (कृषि भूमि)

भूमि स्थित ग्राम- बाघासकु

परगना व

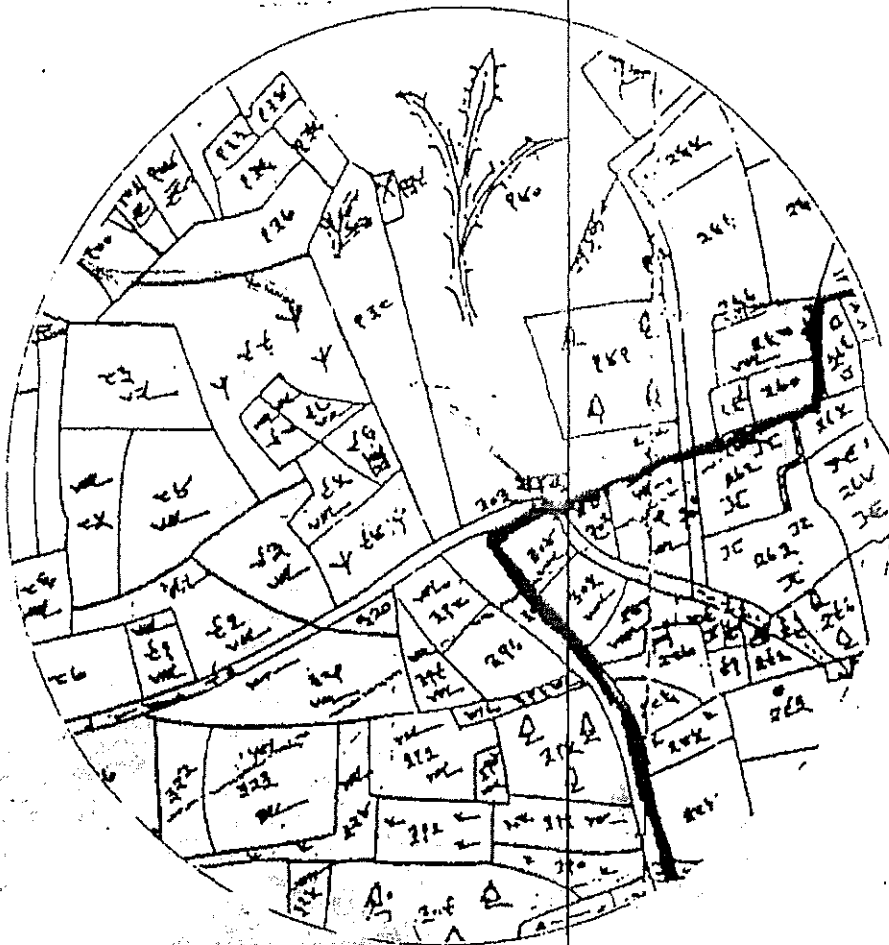
तहसील व

जिला लखनऊ।

खसरा संख्या- 315क, 315ख व 31क का भाग

कुल रकबा - 0.6580 हेक्टेयर में से रकबा 0.1096 हेक्टेयर

200 मीटर की त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त
परिसरधारितों का वितरण



हस्ताक्षर विक्रेता

[Handwritten signature]

हस्ताक्षर क्रेता

7630

पठनकर्ता

पुलनाकर्ता

आज दिनांक 13/07/2015 को

वही सं 1 जिल्द सं 17033

पृष्ठ सं 291 में 318 पर क्रमांक 10650

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकाारी के हस्ताक्षर



दिनेश चन्द्र यादव

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

13/7/2015

सहायक महापरीक्षक (निबन्धन प्रभाग) लखनऊ द्वारा अपन दिनांक
14/7/2015 के अनुसार इस विषय का प्रतीकरण
अनुसूचित किया जाता है तथा ये संकेतित किया जाये कि
प्रमाणित होगा कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के द्वारा
प्रमाणित अनुसार अप्रतीकृत दस्तावेजों का होता है।

छाया प्रति प्रमाणित

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

13-6-2018

